संख्याः 199 /XXVII(7)बोनस/2012

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7

देहरादूनः दिनॉकः 13 अक्टूबर, 2017

विषयः अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2016–2017 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 7/4/2014/ई–III(ए) दिनांक 19 सितम्बर, 2017 द्वारा केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2016–17 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर अधिकतम धनराशि रू0 7000/– की सीमा निर्धारित करते हुए तदर्थ बोनस स्वीकृत किया गया है।

2. राज्य सरकार के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप बोनस अनुमन्य किए जाने के दृष्टिगत केन्द्र सरकार के मानकों के अधीन उक्तानुसार समूह 'ग' एवं 'घ' के अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनका ग्रेड पे रू0 4800/– (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–8) तक है, को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन तदर्थ बोनस अनुमन्य किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. केवल वे कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो दिनांक 31.03.2017 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2016–17 में 31 मार्च, 2017 तक न्यूनतम छः माह की लगातार सेवा की हो। वर्ष के दौरान न्यूनतम छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा अनुपात भुगतान किया जायेगा, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित संख्या) के रूप में की जायेगी ।
2. ऐसे अराजपत्रित कर्मचारी को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा जिन्हें वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 4800/– (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–8 से) अधिक अनुमन्य हुआ हो परन्तु उनकी प्रास्थिति (स्टेट्स) में कोई परिवर्तन न हुआ हो।

क्रमशः.....2

3. उत्पादकता असंबद्व बोनस (तदर्थ बोनस) की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/गणना की उच्चतम सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक दिन के लिए उत्पादकता असंबद्व बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महिने के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा। तत्पश्चात दिए जाने वाले बोनस के दिनों की संख्या से इसको गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए मासिक परिलब्धियों की उच्चतम गणना सीमा को रू0 7000/– (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियों रू0 7000/– से ज्यादा है) मानते हुए 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्व बोनस (तदर्थ बोनस) 7000 x 30/30.4 = 6907.89 (पूर्णांकित रू0 6908/–) होगा।

4. ऐसे कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, जिन्होंने छः कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन अथवा इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, इस उत्पादकता असंबद्व बोनस (तदर्थ बोनस) की राशि रू0 1200 x 30/30.4 अर्थात रू0 1184.21 (पूर्णांकित 1184/–) होगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियों रू0 1200/– से कम है, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।

2– अनुमन्य तदर्थ बोनस का भुगतान नकद किया जायेगा।

3– बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–120/दस–1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर–1(7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे।

4– उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को सम्बन्धित आय–व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय का वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अंतर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः / (1)/XXVII(7)बोनस/2012 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग/शहरी विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रमों में यदि बोनस की देयता हो और सम्बन्धित निकाय/उपक्रम उक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हो तो कृपया अपने स्तर से उक्त वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रमों में नियुक्ति कार्मिकों को तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते है। उक्त के सम्बन्ध में पुनः वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

क्रमशः.....3

4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001।
8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।